न्यायालयः—अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जनपद जालौन।

परिवाद सं0—381/2016

श्रीमती वंदना प्रति सूरज आदि।

दिनांक—29.10.2021

पत्रावली पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादिनी द्वारा परिवादपत्र के समर्थन में अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में उसके द्वारा कथन किया गया है कि उसके शादी 2010 में सूरज (माण्डेर, दतिया) से हुयी थी। उसके पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था, पर उसके ससुराल वाले दिये गये दान से संतुष्ट नही थे, इस कारण पति सूरज, भगवानदास, रामकली, सुभाष व संजय उसे मारपीट करते थे, गंदी गाली देते थे, घर से निकाल देते थे। पति उससे मोटरसाईकिल की मांग करते। पति उसके साथ मारपीट करता था। सूरज, सुभाष, संजय, रामकली, भगवान ने उसे 2014 में गाड़ी की मांग के कारण घर से निकाल दिया था, वह अपने आप घर से गई थी। उस समय वह गर्भवती थी। 2014 में उसका बच्चा हुआ, उसके बाद वह ससुराल नहीं गई है। 2016 में सूरज, सुभाष, संजय, रामकली, भगवानदास आये थे। उसे गाड़ी का रंग नही पता, क्योंकि वाहन दूर ही छोड़ आये थे। घर पर आकर पति और देवर गाड़ी की मांग करी और गाली गलौज की। सूरज, सुभाष, संजय उसके साथ छीना झपटी करने लगे, कढोरे, मंगल मौके पर आ गये और उसे और उसके पिता को बचाया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

पी0डब्लू0—1 कढ़ोर एंव पी0डब्लू0—2 धर्मदास द्वारा परिवाद के कथनो का समर्थन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी तथा उसके द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानो तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल सूरज (पति), सुभाष व संजय (देवर), के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 504,506 भा0द0सं0 व धारा 4 डी0पी0एक्ट के अंतर्गत बनना प्रतीत होता है। शेष विपक्षीगण/अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नही की गयी है।

विधि व्यवस्था श्रीमती प्रीति बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड (2017) एस.सी.सी. 667 में यह विधि प्रतिपादित किया गया है कि वैवाहिक मामलों में तलबी आदेश बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गीता मेहरोत्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2013 (1) जे0आई0सी0एस0सी0 तथा श्रीमती रानी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में भी ऐसा ही सम्प्रेषण किया गया है।

सुस्थापित विधि व्यवस्था के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विपक्षीगण भगवानदास (ससुर), व श्रीमती रामकली (सास) जो परिवादिनी के सास व ससुर है, के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित किये जाने के पर्याप्त आधार नही है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण/अभियुक्तगण सूरज (पति), सुभाष व संजय (देवर), को जरिये समन अंतर्गत धारा 504,506 भा0द0सं0 व धारा 4 डी0पी0एक्ट के तहत तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी सूरज (पति), सुभाष व संजय (देवर), को जरिये समन अंतर्गत धारा 504,506 भा0द0सं0 व धारा 4 डी0पी0एक्ट के तहत तलब किया जाता है। परिवादिनी लिस्ट गवाहान दाखिल करें एवं पैरवी अंदर दस दिन करें। अभियुक्तगण को नियमानुसार समन नियत तिथि के लिये जारी हो। विपक्षीगण दिनांक 30.11.2021 को वास्ते हाजिरी न्यायालय में उपस्थित हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच,